फर्द अहकाम

न्यायालय सहायक कलक्टर, (FT) मावली, उदयपुर

प्रार्थी : श्री पियुष | विपक्षी : श्री देवीलाल

किस्म मुकदमा – 212 रा.का. अधिनियम | पत्रावली संख्या : 28/24

जीसीएमएस : 2024/76

क्रमांक	कार्यवाही विवरण	हस्ताक्षर पार्टी तथा सूचनाएं जारी की गई

दिनांक : 22.04.2025

पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता उभय पक्षकारान उपस्थित। विपक्षी संख्या 1 से 3, 5 बावजूद सूचना अनुपस्थित रहने पर इनके विरूद्व पूर्व में एकतरफा कार्यवाही के आदेश पारित किये जा चुके हैं। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का दिनांक 13.02.2025 को खारिज किया जा चुका हैं। वर्तमान में पत्रावली विपक्षी संख्या 6 के काउन्टर प्रार्थना पत्र में लम्बित हैं। अधिवक्ता उभय पक्षकारान की बहस सुनी गई। अधिवक्ता विपक्षी संख्या 6 द्वारा अपनी बहस में काउन्टर प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराया तथा विपक्षी संख्या 6 का काउन्टर प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने का निवेदन किया। अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराया तथा विपक्षी संख्या 6 का काउन्टर प्रार्थना पत्र खारिज किया जाने का निवेदन किया।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। दस्तावेजात का अध्ययन किया। अधिवक्ता उभय पक्षकारान की बहस पर मनन किया। हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे है कि मौजा सनवाड पटवार हल्का सनवाड तहसील मावली की नकल जमाबन्दी सम्वत् 2077–80 के खाता संख्या 320 पर दर्ज आराजी नम्बर 2897, 2899, 2900, 2901, 2902, 2903, 2907, 2908, 2910 किता 9 कुल रकबा 2.9946 हेक्टेयर एवं खाता संख्या 1873 पर दर्ज आराजी नम्बर 2911 रकबा 0.1619 हेक्टेयर भूमि विपक्षी संख्या 2 से 6 के नाम हिस्सेनुसार दर्ज हैं। न्यायालय का विनम्र अभिमत है कि विपक्षी संख्या 6 द्वारा स्थाई निषेधाज्ञा का प्रतिवाद प्रस्तुत किया हैं। उसी के साथ यह अस्थाई निषेधाज्ञा का काउन्टर प्रार्थना पत्र पेश किया हैं। प्रार्थी एवं विपक्षी संख्या 1 वर्तमान में वादग्रस्त भूमि के खातेदार काश्तकार नहीं हैं। विपक्षी संख्या 6 वादग्रस्त भूमि का सहखातेदार हैं। अतः प्रथम दृष्टया [illegible] विपक्षी संख्या 6 के पक्ष में पाया जाता हैं। विपक्षी संख्या 2, प्रार्थी एवं विपक्षी संख्या 1 के साथ मिलीभगत कर वादग्रस्त भूमि से विपक्षी संख्या 6 को बेद[illegible]

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.08.01 16:48:52 IST
Reason: SelfAttested

कर देता है तो इससे विपक्षी संख्या 6 को अपूरणीय क्षति होगी। प्रार्थी एवं विपक्षी संख्या 1, 2, विपक्षी संख्या 6 की भूमि में दखलन्दाजी करने से प्रार्थी एवं विपक्षी संख्या 1, 2 को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाना न्यायहित में उचित प्रतीत होता हैं। शेष अन्य बिन्दू मूल वाद में साक्ष्य सबूत आदि के आधार पर तय किये जावेगे। अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर विपक्षी संख्या 6 का काउन्टर प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य पाया जाता हैं।

—: आदेश :—

परिणामस्वरूप विपक्षी संख्या 6 का काउन्टर प्रार्थना पत्र धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का स्वीकार किया जाता है मौजा सनवाड पटवार हल्का सनवाड तहसील मावली की नकल जमाबन्दी सम्वत् 2077—80 के खाता संख्या 320 पर दर्ज आराजी नम्बर 2897, 2899, 2900, 2901, 2902, 2903, 2907, 2908, 2910 किता 9 कुल रकबा 2.9946 हेक्टेयर एवं खाता संख्या 1873 पर दर्ज आराजी नम्बर 2911 रकबा 0.1619 हेक्टेयर भूमि में मूल वाद के निस्तारण तक प्रार्थी एवं विपक्षी संख्या 1, 2 विपक्षी संख्या 6 की हिस्सा भूमि में दखलन्दाजी नहीं करें। अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद रहे।

पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय खुले न्यायालय लिखवाया जाकर सुनाया गया।

(रमेश सीरवी पुनाडिया R.A.S.)
सहायक कलक्टर
(FT) मावली

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.08.01 16:48:52 IST
Reason: SelfAttested